न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा
वर्दी चन्द बनाम सरकार
GCMS No- 2023/655
प्रकरण संख्या 221/2023

न्यायालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सिरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 221/2023
जीसीएमएस न0 2023/655

1 श्री वर्दी चन्द पिता देवाजी आयु वयस्क निवासी चरलिया गदिया तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

.... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ

.... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1– श्री वर्दी चन्द – प्रार्थी
2– पेरोकार सरकार तहसीलदार – अधिवक्ता अप्रार्थी

:: निर्णय ::

दिनांक 14.12.2023

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात वाके मौजा चरलिया गदिया पटवार हल्का भावलिया तह0 निम्बाहेडा के खाता सख्या 12 की आराजी नं0 517 रकबा 0.4100 हैक्टेयर भूमि एवं खाता संख्या 94 आराजी नम्बर 505/688 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, 736/460 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 738/488 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 739/489 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 740/490 रकबा 0.200 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 741/497 रकबा 0.1400 हैक्टेयर भूमि स्थित हैं।

2. प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मौजा चरलिया गदिया पटवार हल्का भावलिया तह0 निम्बाहेड़ा के खाता सख्या 12 की आराजी नं0 517 रकबा 0.4100 हैक्टेयर भूमि एवं खाता संख्या 94 आराजी नम्बर 505/688 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, 736/460 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 738/488 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 739/489 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 740/490 रकबा 0.200 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 741/497 रकबा 0.1400 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का नाम वर्दीचन्द के बजाय वरदु दर्ज है। वर्दीचन्द व वरदु डांगी दोनो ही नाम मेरे स्वयं के नाम है, मैं एक ही व्यक्ति हूं। मुझे इन दोनो नाम से जाना पहचाना जाता है किन्तु मरे बैंक खाता व अधार कार्ड व अन्य सभी दस्तावेज में मेरा नाम वर्दीचन्द पिता देवा दर्ज है इसलिए मेरा नाम वरदु के बजाय वर्दीचन्द राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर तरमीम कर इन्द्राज दुरुस्ती किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:43:45 IST
Reason: SelfAttested

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी कर तलब किया गया, विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा उपस्थित होकर एवं अपनी जांच रिपोर्ट में निवेदन किया कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया मौजा चरलिया गदिया पटवार हल्का भावलिया तह0 निम्बाहेड़ा के खाता सख्या 12 की आराजी नं0 517 रकबा 0.4100 हैक्टेयर भूमि एवं खाता संख्या 94 आराजी नम्बर 505/688 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, 736/460 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 738/488 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 739/489 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 740/490 रकबा 0.200 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 741/497 रकबा 0.1400 हैक्टेयर भूमि मे प्रार्थी का नाम वर्दीचन्द के बजाय वरदु अंकित कर दिया जो राजस्व कर्मचारीयों की गलती से

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

हुआ है, जबकि प्रार्थी का नाम वर्दीचन्द हैं। इसलिए प्रार्थी का सही नाम वर्दी चन्द राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर किया जाने की अनुशंषा की।

4. दोनो पक्षो के अभिवचनो के आधार पर बहस उभयपक्ष सूनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारो एवं दस्तावेजो के आधार पर संक्षिप्त सार यह है मौजा चरलिया गदिया पटवार हल्का भावलिया तह0 निम्बाहेड़ा के खाता संख्या 12 की आराजी नं0 517 रकबा 0.4100 हैक्टेयर भूमि एवं खाता संख्या 94 आराजी नम्बर 505/688 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, 736/460 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 738/488 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 739/489 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 740/490 रकबा 0.200 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 741/497 रकबा 0.1400 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का नाम वर्दीचन्द के बजाय वरदु अंकित कर दिया जो राजस्व कर्मचारीयों की गलती से हुआ है जबकि प्रार्थी का नाम वर्दीचन्द हैं। इसलिए नवीन राजस्व रेकार्ड में पुराने राजस्व रेकार्ड मे दर्ज अनुसार प्रार्थी का सही नाम वरदु पिता देवा के बजाय वर्दीचन्द पिता देवा राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर तरमीम कर पुनः शुद्धि किया जाना उचित प्रतीत होता है।

5. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***136. Correction of errors. - The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:***
>
> *Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties*

6. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बावत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

7. अतः तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा संवत् 2077–80 की मौजा चरलिया गदिया पटवार हल्का भावलिया तह0 निम्बाहेड़ा के खाता सख्या 12, खाता संख्या 94 पर दर्ज खातेदार का नाम लेखनीय भूल से प्रार्थी का नाम वरदु अंकित कर दिया ,जबकि प्रार्थी का नाम वर्दीचन्द हैं जो वर्तमान तक चला आ रहा है जो प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के साथ में अन्य दस्तावेज, शपथ पत्र की प्रमाणित प्रति, सरपंच ग्राम पंचायत भावलिया, प0स0 निम्बाहेडा के प्रमाण पत्र की प्रति, आधारा कार्ड की प्रति, जन[illegible] जिसमे प्रार्थी श्री वरदु पिता देवा डांगी के बजाय वर्दीचन्द पिता देवा डांगी होना [illegible]ता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:43:45 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

8. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है कि संवत् 2077–80 मौजा चरलिया गदिया पटवार हल्का भावलिया तह0 निम्बाहेड़ा के खाता सख्या 12 की आराजी नं0 517 रकबा 0.4100 हैक्टेयर भूमि एवं खाता संख्या 94 आराजी नम्बर 505/688 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, 736/460 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 738/488 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 739/489 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, आराजी

उपखण्ड अधिकारी

नम्बर 740 / 490 रकबा 0.200 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 741 / 497 रकबा 0.1400 हैक्टेयर भूमि में खातेदार श्री वरदु पिता देवा डांगी के बजाय वर्दीचन्द पिता देवा डांगी के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा निर्णय अनुसार अमल दरामद करे।

9 निर्णय आज दिनांक 14.12.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

(रमेश सीरवी पुनाड़िया)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:43:45 IST
Reason: SelfAttested